0

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4850/2010

याचिकाकर्ता: रवि लोंकर

बनाम

उत्तरदाता: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

रिट याचिका क्र. 5324/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता: राजेंद्र सिंह ठाकुर

बनाम

उत्तरदाता: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

निर्णय और आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 10 अगस्त 2011 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2011:CGHC:7442

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4850/2010

याचिकाकर्ता: रवि लोंकर.

बनाम

उत्तरदाता: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

उपस्थित: श्री मतीन सिद्दीकी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री किशोर भादुड़ी सह श्री राज अवस्थी, उत्तरदातागण की ओर से अधिवक्तागण।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र. 5324/2010

याचिकाकर्ता: राजेंद्र सिंह ठाकुर.

बनाम

उत्तरदाता: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

उपस्थित: श्रीमती स्मिता घई, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता।

श्री किशोर भादुड़ी सह श्री राज अवस्थी, उत्तरदातागण की ओर से अधिवक्तागण।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका।

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

(10 अगस्त, 2011 को प्रदत्त)

1. क्योंकि उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं, यानी रिट याचिका क्र. 4850/2010 (जिसे इसके बाद प्रथम याचिका' कहा जाएगा) और रिट याचिका क्र. 5324/2010 (जिसे इसके बाद द्वितीय याचिका' कहा जाएगा) में समान तथ्य और विधिक प्रश्न सम्मिलित हैं, इसलिए, इन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. इन याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता (प्रथम रिट याचिका में) दिनांक 11.08.2010 के आक्षेपित आदेश (प्रदर्श पी/1) को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसके तहत वह बिलासपुर में विकास अधिकारी (प्रशासन) के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ता को मनेन्द्रगढ़ में विस्तार पटल प्रभारी के रूप में पदस्थापित करने का निर्देश दिया गया है, और द्वितीय रिट याचिका में, दिनांक 06.09.2010 के आदेश (प्रदर्श पी/1) को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत रायगढ़ में विकास अधिकारी (प्रशासन) के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ता का स्थानांतरण विस्तार पटल प्रभारी, पेंड्रा रोड के रूप में पदस्थापित पर कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्तागण द्वारा बताए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्तागण को क्रमशः दिनांक 04.03.1986 और 01.02.1985 के आदेश के तहत निरीक्षक (विकास कार्यालय) और विकास अधिकारी के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, उन्हें क्रमशः दिनांक 01.04.1987 और 01.02.1986 को उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया। उत्तरदाता कंपनी ने दिनांक 22.01.2003 के पत्र [रिट याचिका क्र. 4850/2010 के प्रदर्श पी/2] के माध्यम से एक योजना शुरू की, जिसका नाम सामान्य बीमा (विकास कर्मचारी के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन योजना, 2003 (संक्षेप में 'योजना, 2003') था, जिसमें यह उपबंधित था कि उक्त अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्धारित तरीके से योजना, 2003 के पैरा

15-ग के तहत विकल्प का प्रयोग किया जाए। याचिकाकर्तागण ने क्रमशः दिनांक 04.02.2003 और 31.01.2003 को अपना विकल्प फॉर्म जमा किया, जिसे उत्तरदाता कंपनी ने दिनांक 21.04.2003 को स्वीकार कर लिया और इस तरह, उन्हें विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया। अचानक, दिनांक 11.08.2010 और 06.09.2010 के आक्षेपित आदेशों के माध्यम से, याचिकाकर्तागण की सेवाओं का स्थानान्तरण कर दिया गया, जिसमें पहले याचिकाकर्ता को बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़ विस्तार पटल और दूसरे याचिकाकर्ता को रायगढ़ से पेन्ड्रा रोड विस्तार पटल पर पदस्थ किया गया। इसलिए, ये याचिकाएँ दायर की गईं।

4. निःसंदेह, याचिकाकर्ता उत्तरदाता कंपनी में विकास अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। 2003 की योजना के तहत, सभी समानतः स्थित व्यक्तियों को विकास अधिकारी (प्रशासन) के तौर पर पदस्थापना चुनने का अवसर दिया गया था। दोनों याचिकाओं में, याचिकाकर्तागण का विकल्प उत्तरदाता कंपनी ने दिनांक 21.04.2003 को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद, प्रथम याचिका में याचिकाकर्ता, जो विकास अधिकारी (प्रशासन), बिलासपुर के पद पर नियुक्त थे, उन्हें दिनांक 11.08.2010 के आदेश से मनेन्द्रगढ़ में विस्तार पटल प्रभारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता, जो रायगढ़ में तैनात थे, उन्हें दिनांक 06.09.2010 के आदेश से पेन्ड्रा रोड में विस्तार पटल प्रभारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। अतः ये याचिकाएँ आक्षेपित स्थानान्तरण के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, इस आधार पर कि उनका मूल पद विकास अधिकारी (प्रशासन) है और उन्हें विस्तार पटल प्रभारी के रूप में स्थानांतरित और पदस्थापित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्तागण श्री मतीन सिद्दीकी और श्रीमती

स्मिता घई, ने यह निवेदन किया कि दिनांक 18.06.2010 की योजना [रिट याचिका क्र. 4850/2010 के प्रदर्श ए/1] के तहत, कवर्धा और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में विस्तार पटल खोलने का निर्णय किया गया था, जिसमें यह स्पष्टरूप से बताया गया था कि सभी योग्य कर्मचारी जो विस्तार पटल प्रभारी बनना चाहते हैं, वे अपना आवेदन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, विपणन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को जमा कर सकते हैं। इसमें आगे यह भी बताया गया था कि आवेदक ए. ओ./ए . एम.(प्रशासन) विकास अधिकारी (प्रशासन) होना चाहिए अथवा आपातकालीन स्थिति या आवश्यक स्थिति के मामलों में वरिष्ठ सहायक भी आवेदन कर सकते हैं। याचिकाकर्तागण का आगे का प्रकरण यह है कि उन्होंने विस्तार पटल प्रभारी के रूप में नियुक्ति या पदस्थापना के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश गलत और दोषपूर्ण हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी तरफ, उत्तरदाता कंपनी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री अवस्थी, के साथ उपस्थित श्री भादुड़ी ने यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.06.2010 की योजना [रिट याचिका क्र. 4850/2010 के प्रदर्श ए/1] के अनुसार, किसी भी अधिकारी ने विस्तार पटल प्रभारी के रूप में नियुक्ति/पदस्थापना के लिए कोई आवेदन नहीं किया, हालांकि, विभिन्न स्थानों पर विस्तार पटल खोले गए थे। अतः, कंपनी ने योजना, 2003 के पैरा 21.ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिसमें यह स्पष्टरूप से बताया गया है कि विकास अधिकारी (प्रशासन) ऐसे कार्य और ऐसे स्थान पर करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकेगा। यह उपबंधित किया गया था कि विकास अधिकारी को समय-समय पर ऐसे स्थानों पर कोई अन्य कर्तव्य सौंपे जा सकते है जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकेगा।

7. इस प्रकार, उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के कारण, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पारित किए गए जो न तो नीतिगत निर्णय के विपरीत हैं और न ही किसी वैधानिक नियमों या

विनियमों का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार, यह न्यायालय आक्षेपित स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की सक्षमता को कोई चुनौती नहीं है।

8. दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना, अभिवचनों और उनसे जुड़े दस्तावेजों का परिशीलन किया।

9. निःसंदेह याचिकाकर्तागण ने विकास अधिकारी (प्रशासन) के पद के लिए आवेदन किया था, जिसे दिनांक 21.04.2003 के आदेशों (दोनों याचिकाओं में प्रदर्श पी/4) द्वारा स्वीकार किया गया था। साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सामान्य बीमा (विकास कर्मचारी के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन योजना, 1976 (संक्षेप में 'योजना, 1976') में संशोधन करने के लिए योजना बनाई, जिसमें संशोधन के द्वारा पैरा 15ग और 21क को योजना, 1976 में जोड़ा गया और दिनांक 02.01.2003 के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। [रिट याचिका क्र. 4850/2010 का प्रदर्श पी/2]। पैरा 15ग के विशेष विकल्प के तहत, यह उपबंध है कि एक विकास अधिकारी अपनी सेवा विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में देने का विकल्प चुन सकता है। प्रदर्श II के अनुसार पैरा 21क, अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों को उपबंधित करता है, जो कि इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21.क. विकास अधिकारी (प्रशासन) के कर्तव्य और कार्य—

(1) एक विकास अधिकारी जो विकास अधिकारी (प्रशासन) के रूप में सेवा देने का विकल्प चुनता है, वह ऐसे कार्य और ऐसे स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकेगा है, अर्थात्:-

(क) घरेलू सर्वेक्षण और जोखिम निरीक्षण;

(ख) मोटर तृतीय पक्ष दावा प्रबंधन में सहायता;

(ग) ग्राहक सेवा के अन्य क्षेत्र;

(घ) बाजार अनुसंधान और उत्पाद विकास;

(ङ) दावा अन्वेषण

(च) कोई अन्य कर्तव्य जो उसे समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।"

10. याचिकाकर्तागण द्वारा इस बात का भी खंडन नहीं किया गया है कि दिनांक 18.06.2010 की योजना [रिट याचिका क्र.4850/2010 का प्रदर्श ए/1] के तहत किसी भी अधिकारी ने विस्तार पटल प्रभारी के रूप में नियुक्ति का विकल्प नहीं चुना है। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता कि कोई भी कर्मचारी, विशेष रूप से विकास अधिकारी (प्रशासन), को विस्तार पटल प्रभारी के रूप में पदस्थ नहीं किया जा सकता है, जो एक समान पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, विकास अधिकारियों के लिए स्थानांतरण और गतिशीलता नीति, दिनांक 19.09.2008 [रिट याचिका क्र. 4850/2010 का प्रदर्श आर/5] के पैरा 5.2 के तहत, एक विकास अधिकारी (प्रशासन) को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की शक्ति नीति के अनुसार संगठनात्मक ज़रूरतों के हिसाब से अध्यक्ष के पास है। इस प्रकार, आक्षेपित स्थानांतरण आदेशों में कोई कमी या अनियमितता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके अलावा भी, यह सदैव नियोक्ता पर होता है कि वह प्रशासनिक ज़रूरत और जनहित को ध्यान में रखते हुए तय करे कि किसी कर्मचारी को कहाँ पदस्थापित किया जाएगा। इस न्यायलय के समक्ष स्थानांतरण के मामले में दखल देने का सीमित अधिकार है, सिवाय उन मामलों के जहाँ गलत इरादे, स्थानांतरण आदेश देने वाले प्राधिकारी की अक्षमता और नियमों और विनियमों से असंगतता का साक्ष्य प्रस्तुत हो।

याचिकाकर्ता/कर्मचारी को हमेशा एक ही जगह पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सेवा नियमों के उपबंधों के तहत, नियोक्ता के पास जनहित और प्रशासनिक ज़रूरत को देखते हुए किसी कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित करने की पूरी शक्ति है। (देखें ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य[1], भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य[2], मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम एस.एस. कौरव और अन्य[3] और मोहम्मद मसूद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[4])।

12. उपरोक्त तथ्यों और कारणों के आलोक में, दोनों रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हालांकि, भविष्य में, यदि कुछ अधिकारी विस्तार पटल प्रभारी के रूप में पदस्थापना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें विस्तार पटल प्रभारी के रूप में ही पदस्थापित किया जाना चाहिए, न कि अन्य विकास अधिकारी (प्रशासन) को, जिन्हें योजना, 1976 के पैरा 21.क के तहत बताए गए अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियुक्त किया गया है।

13. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By- Shubhangi Sahu

---

[1] (2004) 4 SCC 245.
[2] (2007) 8 SCC 150
[3] (1995) 3 SCC 270
[4] (1974) 4 SCC 3